क्रमांक 59
ई-मेल से प्राप्त
दिनांक 7/12/20 समय 3:28 PM

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-1) विभाग

कमांकः प. 20(4)प्रसु/अनु.1/2019पार्ट

जयपुर, दिनांकः 4/12/2020

## परिपत्र

राज्य सरकार, जन घोषणा पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 27.65 (राज्य सरकार लोकतंत्र की मूल भावना "जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन") के अनुरूप कार्य करने के संबंध में शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है। उक्त जन घोषणा का संबंध उदात्त प्रजातांत्रिक मूल्यों "जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन" के अनुरूप लोक कल्याणकारी कार्य करने से है। अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों के सचिवों/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षकों एवं समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जनता के कार्यों को निर्धारित समयावधि में शीघ्र निस्तारित किया जावें एवं उनसे मिलने का समय निश्चित कर राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जावें तथा राज्य कार्यों के निस्तारण में पूर्ण पारदर्शिता तथा संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जावें।

उक्त प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित कार्यपद्धति को लागू करने के संबंध में सचिव/विभागाध्यक्षों के स्तर से प्रभावी पर्यवेक्षण किया जावें।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

PS
समस्त ETI/कार्यालय
व निदेशालय की website पर upload
7/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महादेय
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स सहित)
5. रक्षित पत्रावली

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव